

हरियाणा ने 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमति किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 17 ज़िलों में फैली 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमति किया।

मुख्य बढि:

- नियमति की गई 91 कॉलोनियाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधीन हैं , जबकि 173 कॉलोनियाँ शहरी स्थानीय विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
- सीएम के अनुसार, राज्य सरकार ने व्यापक शहरी विकास और सामुदायिक कल्याण की दशा में एक कदम उठाते हुए अब तक 2,101 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमति कर दिया है।
- नियमतिकरण प्रक्रिया के हिससे के रूप में इन कॉलोनियों में नविसियों को सड़क, सीवरेज, जल की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट आदि सहति बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- इन कॉलोनियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार ने कॉलोनियों के अंदर विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिये 4 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वितरण के साथ 438 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है।